[2020] 11 एस. सी. आर. 541

भारत का संघ

वी.

एकीकृत दूरसंचार सेवा का संगठन

भारत के प्रदाता ई. टी. सी. ईटीसी।

(एम. ए (घ) 2020 की सं. 9887)

में।

(2015 की सिविल अपील सं. 6328-6399)

1 सितंबर, 2020

जारून मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885-समायोजित सकल राजस्व (ए. जी. आर.) और उसके तहत भुगतान किए जाने वाले बकाया की परिभाषा, भारत संघ बनाम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस

भारत के प्रदाताओं ने [2019] 16 एससीआर 672-भुगतान-दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भारतीय बैंकों द्वारा प्रतिनिधित्व के रूप में सूचित किया

संघ-भारत संघ द्वारा निर्धारित 20 वर्षों की अवधि-आयोजितः इस न्यायालय के फैसले के आधार पर दूरसंचार विभाग (डी. ओ. टी.) द्वारा ए. जी. आर. बकाया के लिए की गई मांग के लिए किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा कोई विवाद/पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा-हालांकि, भुगतान के लिए निर्धारित 20 साल की अवधि अत्यधिक है-पहली बार में, दूरसंचार ऑपरेटर डी. ओ. टी. द्वारा की गई कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करेंगे, जैसा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी. एस. पी.) द्वारा डी. ओ. टी. द्वारा 31 मार्च तक देय वार्षिक किश्तों में भुगतान करने के लिए कहा गया है।

वित्तीय वर्ष-जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज के साथ समझौते के अनुसार ब्याज आकर्षित करने के लिए भुगतान में कोई भी चूक-जारी किए गए निर्देश-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-भारतीय वायरलेस

टेलीग्राफ अधिनियम, 1933-भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम,

1997 . दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-समायोजित सकल राजस्व (ए. जी. आर.) बकाया का भुगतान-दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने

दिवाला कार्यवाही-प्रामाणिक रूप से-आयोजितः उक्त प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्न जैसे कि क्या स्पेक्ट्रम लाइसेंस को इस तरह की कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है; लाइसेंस के तहत देय राशि को परिचालन देय राशि आदि कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक अधिकार क्षेत्र है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस स्तर पर ही-राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.)-भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 द्वारा जांच की जाएगी। दूरसंचार-लाइसेंसधारक के पिछले ए. जी. आर. बकाया को साझा करने के लिए स्पेक्ट्रम-देय दायित्वः साझा ऑपरेटर दूरसंचार सेवा

प्रदाता (टी. एस. पी.) पर लाइसेंसधारक के ए. जी. आर. के पिछले बकाया का भुगतान करने का दायित्व नहीं लगाया जा सकता है, जिन्होंने मूल लाइसेंसधारियों के साथ स्पेक्ट्रम साझा किया है।

निर्देश जारी करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. निम्नलिखित तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं -

विचारः

2.1 रे में। क्या स्पेक्ट्रम को संहिता के तहत कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है? क्या स्पेक्ट्रम को संहिता के तहत कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है और भारतीय संविधान की धारा 4 के तहत है।

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, सरकार के पास संप्रभु अधिकार है। दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 3 (10),

2016'लेनदार' को परिभाषित करता है। 'ऋण' शब्द को धारा 3 (11) में परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति 'संपत्ति' को धारा 3 (27) में परिभाषित किया गया है। ' 'परिचालन लेनदार' को भाग II की धारा 5 (20) में निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन शीर्षक के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 5 (21) 'परिचालन ऋण' को परिभाषित करती है। स्वामित्व के बारे में सवाल उठाया गया है। क्या टी. एस. पी. को दिए गए लाइसेंस के तहत स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार के आधार पर मालिक कहा जा सकता है? क्या लाइसेंस एक संविदात्मक व्यवस्था है? क्या स्वामित्व भारत सरकार का है? क्या अनुबंध के तहत स्पेक्ट्रम को संहिता की धारा 18 के तहत कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है? सवाल यह भी उठता है कि क्या स्पेक्ट्रम को कब्जे में कहा जा सकता है, जो स्वामित्व से उत्पन्न होता है। अधिकार और व्यवसाय में क्या अंतर है? क्या अधिकार स्वामित्व अधिकार से संबंधित है? भारत संघ बनाम के संबंध में भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

व्यापार और दिवालिया कार्यवाही के बीच अंतर। क्या दिवालिया कार्यवाही के तहत लाइसेंस हस्तांतरित किया जा सकता है,

विशेष रूप से जब व्यापार विक्रेता या खरीदार द्वारा बकाया राशि की निकासी के अधीन है, जैसा कि दिशानिर्देश Nos.10 और 11 में प्रदान किया गया है; जबकि दिवालिया कार्यवाही में बकाया राशि समाप्त हो जाती है। दिशानिर्देश No.12 को भी मामले में महत्वपूर्ण माना जाता है।

स्पेक्ट्रम दिवालिया कार्यवाही के अधीन है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह भी जांचना आवश्यक है कि कब

सरकार ने व्यापार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और लाइसेंस समझौते में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के आधार पर व्यापार के लिए एन. ओ. सी. जारी नहीं किया है, स्पेक्ट्रम को समाधान कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है जिसका प्रभाव सरकार के बकाया को समाप्त करने का होगा, जो कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जबकि बैंकों का बकाया बहुत कम है। क्या डीओटी की अनुमति प्राप्त करना और समाधान योजना के लिए इसकी मंजूरी व्यापार दिशानिर्देश का विकल्प होगी

Nos.10,11, और 12? [पारस 16-19] [562-C; 564-C-H; 565-A]

2.2 एक सवाल यह भी उठता है कि इसकी प्रामाणिक प्रकृति

संहिता के तहत कार्यवाही। मामलों के तथ्यों की पृष्ठभूमि में, सवाल यह भी उठता है कि क्या स्पेक्ट्रम लाइसेंस के अधीन है संहिता के तहत कार्यवाही, और यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, इंडियन वायरलेस में निहित प्रावधानों को ओवरराइड करता है।

टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाइसेंस में लाइसेंसकर्ता, लाइसेंसधारी और ऋणदाताओं के बीच एक समझौता था, क्या उसके आधार पर, स्पेक्ट्रम को सुरक्षा हित के रूप में माना जा सकता है और इसे लागू करने का तरीका क्या है। क्या बैंक इसे संहिता के तहत कार्यवाही में या वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम) के तहत या किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के कानून के अनुसार प्रक्रिया द्वारा लागू कर सकते हैं। मौलिक महत्व का एक सवाल यह भी उठता है कि क्या स्पेक्ट्रम एक प्राकृतिक संसाधन है,

सरकार के पास सेस्टीक ट्रस्ट के समान ही है। संसाधन की प्रकृति को देखते हुए, इसे दिवालिया/परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है। इससे पहले लाइसेंस अग्रिम शुल्क के भुगतान पर प्राप्त किया जाता था जो टी. एस. पी. के लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि इस तरह की एक नई राजस्व साझाकरण व्यवस्था 1999 में तैयार की गई थी, और केंद्र सरकार के पास [2020] 11 एस. सी. आर. की धारा 4 के तहत एक विशेष अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 स्पेक्ट्रम के उपयोग में, यह कुछ वैधानिक दिशानिर्देशों के साथ भाग ले सकता है, इसके उपयोग के बिना अनुमति नहीं है

अपेक्षित शुल्क का भुगतान। क्या लाइसेंस के तहत देय राशि हो सकती है

कहा जाता है कि परिचालन बकाया है? यह भी जांचा जाना है कि क्या स्पेक्ट्रम अधिग्रहण लागत की स्थगित/चूक भुगतान किश्तों को एजीआर बकाया के अलावा परिचालन बकाया कहा जा सकता है। क्या राजस्व साझाकरण व्यवस्था और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार, बकाया को परिचालन बकाया कहा जा सकता है? क्या प्राकृतिक संसाधन आवश्यक बकाया के भुगतान के बिना उपयोग करने के लिए उपलब्ध होंगे, क्या इस तरह के बकाया को संहिता और सरकार के तुलनात्मक बकाया के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर मिटा दिया जा सकता है, और सुरक्षित लेनदारों और वास्तविक लाभ के लिए।

कार्यवाहियों की निष्ठा पर भी विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त विभिन्न प्रश्नों पर पहले एन. सी. एल. टी. द्वारा विचार किया जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. को उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने दें और पारित होने दें। सभी पक्षों को सुनने के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश। यह एक अधिकार क्षेत्र का प्रश्न होने के कारण, इस स्तर पर ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं किया है, और सभी प्रश्नों के लिए खुला रखा गया है।

एन. सी. एल. टी. द्वारा जाँच। [पारस 20-23] [565-B-H; 566-A-B] 3. रे में। साझा करना साझा करने वाले ऑपरेटर के दायित्व के बारे में सवाल पर आना, जो मूल के स्पेक्ट्रम को साझा कर रहा है

मूल लाइसेंसधारक के पिछले एजीआर बकाया के लाइसेंसधारी चिंतित हैं कि स्पेक्ट्रम साझाकरण की अनुमति है और दिनांक 24.09.2015 साझा करने के दिशानिर्देशों द्वारा अनुमोदित है। संसद ने "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति" के हिस्से के रूप में स्पेक्ट्रम बंटवारे को मंजूरी दी है। 2012 " . हालांकि, डीओटी ने वर्ष 2015 में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए और उन्हें मंजूरी दी। स्पेक्ट्रम शेयरिंग एक ऐसी नीति है जो ऑपरेटरों के रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपकरण को साझा करने की अनुमति देती है। संपूर्ण साझाकरण दिशानिर्देशों से गुजरने पर, यह निर्धारित नहीं करता है

साझाकरण प्रचालक के पिछले बकाया के बारे में कुछ भी। डी. ओ. टी. के अनुसार, स्पेक्ट्रम साझा करने के मामले में, एस. यू. सी. दर में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि होती है, और दोनों टी. एस. पी. अपने-अपने ए. जी. आर. पर इस वृद्धिशील एस. यू. सी. का भुगतान करते हैं यदि वे स्पेक्ट्रम साझा कर रहे हैं। दोनों ने

टी. एस. पी. एस. (शेयरधारकों) को स्पेक्ट्रम साझा करने के मामले में अपने संबंधित AGRs.Even पर इस एस. यू. सी. का भुगतान करना आवश्यक है, उक्त ऑपरेटर का दायित्व केवल उक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की सीमा तक होगा, और साझा करने वाले ऑपरेटर का दायित्व भारत का संघ v.

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शेष स्पेक्ट्रम का। इसलिए, साझा करने वाले ऑपरेटर-लाइसेंसधारी के पिछले बकाया (साझा किए जाने के बाद) के भुगतान के संबंध में उक्त ऑपरेटर का कोई दायित्व नहीं होगा। कि वर्तमान मामले में, लाइसेंसधारी के स्पेक्ट्रम का केवल एक हिस्सा कुछ टी. एस. पी. के मामले के साथ साझा किया गया है। , जिसे डीओटी द्वारा साझाकरण दिशानिर्देश, 2015 के तहत अनुमोदित किया गया है, और साझा ऑपरेटर पर पिछले बकाया के दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अन्यथा, साझाकरण प्रचालक/अनुज्ञप्तिधारक के पिछले बकाया में अनुज्ञप्ति धारक, कुछ टी. एस. पी. द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए ए. जी. आर. शामिल है। जैसे कि रिलायंस बाद में अस्तित्व में आई, एजीआर के ऐसे ऑपरेटर का दायित्व केवल उस हद तक होगा जब उसने उक्त स्पेक्ट्रम का उपयोग किया है। साझा प्रचालक टीएसपी। जिन लाइसेंसधारियों ने मूल लाइसेंसधारियों के साथ स्पेक्ट्रम साझा किया है, उनके एजीआर के पिछले बकाया का भुगतान करने का दायित्व नहीं लिया जा सकता है।

[पारस 24-26] [566-C; 569-F; 573-C-E, G-H; 574-A-B]

4. रे में। व्यापार स्पेक्ट्रम व्यापार दिनांकित 12.10.2015 स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके तहत व्यापार दिशानिर्देशों में कहा गया है कि दिवालिया होने का सामना कर रही दूरसंचार कंपनी के स्पेक्ट्रम का हिस्सा-दूसरी दूरसंचार कंपनी मूल लाइसेंसधारी का उपयोग कर रही है। खरीदार और खरीदार का दायित्व दिनांक 12.10.2015 के स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों के पैरा 11 के अनुसार होगा।

ओ. एम. दिनांकित 12.05.2016 को देखें। इस प्रकार, स्पेक्ट्रम के पैरा 11 के अनुसार दिनांक 12.10.2015 के व्यापार दिशानिर्देश, ओ. एम. दिनांक 12.05.2016 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए, स्पेक्ट्रम के एक हिस्से की बिक्री के मामले में, खरीदार/खरीदार की देनदारी के संबंध में

विक्रेता का पिछला बकाया उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे मामले में जहां पूरा स्पेक्ट्रम बिक्री के अधीन है, उस मामले में, विक्रेता का पिछला बकाया खरीदार का दायित्व होगा, सिवाय उस राशि/बकाया के जो व्यापार की प्रभावी तिथि के बाद वसूल करने योग्य पाई गई हो, जो व्यापार की प्रभावी तिथि के समय पक्षों को ज्ञात नहीं थी और ऐसी स्थिति में खरीदार और विक्रेता के ऐसे बकाया का दायित्व संयुक्त रूप से या अलग-अलग होगा और सरकार अपने विवेक से ऐसी राशि की वसूली करने की हकदार है। वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि कुछ मामलों में केवल आंशिक स्पेक्ट्रम का कारोबार किया गया था, और शेष स्पेक्ट्रम विक्रेता के पास जारी रहा। स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए समझौते के समय, विक्रेता के एजीआर बकाया का भी पता था। इसलिए, [2020] 11 एस. सी. आर. के साथ पठित 12.10.2015 स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों के पैरा 11 के संयुक्त पठन पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. एम. दिनांक 12.05.2016, समझौते/स्पेक्ट्रम व्यापार के समापन से पहले विक्रेता का बकाया खरीदार पर नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि एजीआर बकाया के संबंध में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में, प्रतिवादी पक्षकार थे, और वे थे दूसरे दौर में ए. जी. आर. की परिभाषा के संबंध में मुकदमा करना

इस न्यायालय के समक्ष 215 में दायर अपील की। यह स्पष्ट है कि पक्षों को यह पता था कि एजीआर बकाया को अंतिम रूप दिया जाना है

एक लंबित मामले में इस न्यायालय का निर्णय पिछले 20 वर्षों से लंबित था। व्यापार दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट दायित्व से इस हद तक नहीं बचा जा सकता है कि विक्रेता या खरीदार उत्तरदायी हो। उन्हें इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार एजीआर का भुगतान करना होगा। जो खरीदार विक्रेता या खरीदार नहीं हैं, उन्हें देय राशि का भुगतान करना होगा, जिस हद तक वे इसके तहत उत्तरदायी हैं।

दिशानिर्देश। यह कहा गया था कि उन्होंने स्व-मूल्यांकन के अनुसार बकाया का भुगतान किया है या कुछ मामलों में मांगें नहीं उठाई गई हैं। डी. ओ. टी. व्यापार के ऐसे मामलों में मूल्यांकन को पूरा करेगा और यदि इसे नहीं उठाया गया है तो मांग बढ़ाएगा और आत्म-मूल्यांकन की शुद्धता की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो उचित समय के बाद मांग बढ़ाएगा। सत्यापन। [पारस 27-29] [574-C; 575-G; 576-A-B, C-E]

5. ए. जी. आर. के बकाया का भुगतान भारत संघ ने राष्ट्र पर व्यापक ब्याज, आर्थिक परिणामों की परिकल्पना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए, एक सचेत निर्णय लिया है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से पिछले बकाया की वसूली के लिए एक सूत्र के लिए इस न्यायालय से मंजूरी मांगी है। फॉर्मूला को मंजूरी के लिए रखा गया है

परामर्श, और निर्णय की तारीख तक, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार बकाया राशि का निर्धारण किया गया है। केवल बाद की अवधि के लिए, ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की दर के बारे में कुछ छूट दी गई है, जो है - अनुमति है। पिछले 20 वर्षों से बकाया राशि जमा हो रही है। कुछ कंपनियाँ दिवाला कार्यवाही के तहत हैं, भारत की वैधता संघ v.

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

ऊपर, जिस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। हालांकि, भुगतान के लिए निर्धारित 20 साल की अवधि अत्यधिक है। यह एक राजस्व साझाकरण व्यवस्था है, और यह टी. एस. पी. को संप्रभु अधिकार प्रदान करती है। दूरसंचार नीति के तहत। कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए, वित्तीय तनाव और बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी पर विचार करना। समय की सुविधा प्रदान करना उचित समझा जाता है

बकाया राशि का भुगतान समान वार्षिक किश्तों में करें। मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया शेष निर्णय इसके अलावा रहेगा -

बकाया भुगतान करने के लिए समय सारिणी के संबंध में संशोधन। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने गैर-दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से गैर-दूरसंचार राजस्व के आधार पर लाइसेंस शुल्क के लिए की गई मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। एम/एस। पावरग्रिड, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, डी. एम. आर. सी., जो गैर-दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों की मांग का लगभग 96 प्रतिशत है।

[पारस 33,35,36,37] [578-जी; 579-एच; 580-ए-डी, एच; 581-ए]

6. अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंः (i) दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांग के लिए

इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर एजीआर बकाया, किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा और कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। (ii) कि, पहली बार में, संबंधित दूरसंचार ऑपरेटर भुगतान करेंगे

प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक देय 1.4.2021 से 31.3.2031 तक। ((iv) मौजूदा बैंक स्पेक्ट्रम के संबंध में जो गारंटी प्रस्तुत की गई है, वह

टी. एस. पी. द्वारा जीवित रखा जाए। जब तक भुगतान नहीं किया जाता है। (v) वार्षिक किश्तों का भुगतान करने में किसी भी चूक की स्थिति में, ब्याज समझौते के अनुसार दंड और जुर्माने पर ब्याज के साथ अदालत के संदर्भ के बिना स्वचालित रूप से देय हो जाएगा। इसके अलावा, यह अदालत की अवमानना के लिए दंडनीय होगा।

[पैरा 38] [581-बी-एफ]

भारत संघ बनाम। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (2020) 3 एससीसी 525: [2019] 16 एससीआर

672 ; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के दूरसंचार सेवा प्रदाता और अन्य। (2011) 10 एससीसी 543: [2011] 14 एससीआर 657; सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस।

(2012) 3 एससीसी 1: [2012] 3 एस. सी. आर. 147; मेसर्स। दूतावास

संपत्ति विकास प्रा. लिमिटेड वी. की स्थिति

कर्नाटक 2019 (17) स्केल 37; राम दास बनाम। देविंदर (2004) 3 एससीसी 684: [2004] 3 एस. सी. आर. 518; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1478 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 16 एससीआर 672

पै

रा 1

संदर्भित किया गया है

[2011] 14 एससीआर 657

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

पै

रा 11 (ix)

[2012] 3 एससीआर 147

संदर्भित किया गया है

[2004] 3 एससीआर 518

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11 (xi)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः एम. ए (घ) सं. 9887

2020 2015 की सिविल अपील सं. 6328-6399 में।

दूरसंचार के 23.04.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2003 की याचिका संख्या 7,2005 की पी संख्या 82 में विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण; 2006 का पी. सं. 57; पी. सं. 284 , 289 , 290 , 291 , 292 2007 का; पी. सं. 33 , 34 , 42 , 249 , 256 2008 का; पी. सं. 69 , 151 , 201 , 233 , 234 , 235 , 244 2009 का पी. नं. 2010 का 106; पी. सं. 388 , 474 , 475 , 476 , 477 ,

478 , 480 2011 का पी. सं. 43 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 150 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 2012 का]

के साथ डायरी सं. 2450 , 2458 , 2461 , 2476 , 2578 2020 का

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या 238/2020, एस. एम. सी. (ग) संख्या 1/2020, एम. ए. 725-796/2020

सी. ए. सं. 6328-6399/2015, एमए सं. 1464/2020।

तुषार मेहता, एस. जी., रामजी श्रीनिवासन, कपिल सिब्बल, रितिन राय, श्याम

दीवान, रवि कदम, हरीश साल्वे, के. वी. विश्वनाथन, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, संदीप सेठी, नीरज किशन कौल, Sr.Advs। , गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री बीनू टम्टा, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, कानू अग्रवाल, अशोक पाणिग्रही, ध्रुव टम्टा, सुश्री मनाली सिंघल, मंसूर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

अली शोकेत, संतोष सचिन, दीपक एस रावत, सुश्री आंचल कपूर, नितिन काला, कुणाल सिंह, सुश्री रंजीता रोहतगी, हर्ष कौशिक, विजेंद्र प्रताप सिंह, निजाम पाशा, फैसल शेरवानी, गुरप्रीत सिंह काहलों, महेश अग्रवाल, सुश्री शाली भसीन, विक्टर दास, सुश्री सलोनी महाजन, ई. सी. अग्रवाल, मंजुल बाजपेयी, नितिन काला, पुखरंबम रमेश कुमार, कुणाल सिंह, सुश्री अनुपमा नागांगोम, करुण शर्मा, अनिल कुमार मिश्रा, श्रीराम परक्कट, अनूप रावत, सुश्री स्मारिका सिंह, सुश्री श्रेया सरकार, चैतन्य सफाया, अनुज बेरी, ऋषभ शर्मा, सौरव पांडा, जीशान खान, सुश्री सलोनी कुलकर्णी, ऋषभ जैसानी, सुश्री कृति कल्याणी, शार्दुल एस. श्रॉफ, के. आर. शशिप्रभु, राघव शंकर, भावुक अग्रवाल, विष्णु शर्मा, तुषार भारद्वाज, सुश्री विभा धवन, सुश्री अल्विया अहमद, अक्षत जैन, करुण शर्मा, अमित ढींगरा, रोहित महाजन, श्वेतांक शांतनु, रवि एस. चौहान, अंकित कुमार, सुश्री उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

1. इस न्यायालय ने सी. ए. Nos.6328-6399 में निर्णय और आदेश पारित किया।

2015-भारत संघ बनाम। एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया और अन्य सिविल अपीलों का निर्णय एक सामान्य निर्णय और दिनांक 24.10.2019 के आदेश द्वारा किया गया। न्यायालय ने 'एजीआर' की परिभाषा और उसके तहत भुगतान किए जाने वाले बकाया के बारे में निर्णय लिया।

2. ए. जी. आर. की अवधारणा निहित प्रावधानों के आलोक में उत्पन्न हुई

भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों में। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत, केंद्र सरकार को स्थापित करने का विशेष विशेषाधिकार है -

तारों को बनाए रखना और काम करना। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर लाइसेंस देकर और ऐसी शर्तों पर विचार करके जो वह उचित समझती है, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकार के साथ भाग लेने में सक्षम बनाती है। धारा के तहत जारी किया गया लाइसेंस

4 (1) एक लाइसेंसधारक और एक लाइसेंसधारी के बीच एक अनुबंध बन जाता है। इस न्यायालय ने ए. यू. एस. पी. आई. (आई) मामले में टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया

—

(2011) 10 एस. सी. सी. 543 इसी मामले में, इस प्रकारः

" 37. संविधान की धारा 4 की उप-धारा (1) का केवल अवलोकन टेलीग्राफ अधिनियम से पता चलता है कि केंद्र सरकार के पास है

XXX 39. हालाँकि, टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) का परंतुक केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझती है, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर इस विशेष विशेषाधिकार को छोड़ने में सक्षम बनाता है। चूँकि केंद्र सरकार के पास दूरसंचार गतिविधियों को चलाने का विशेष विशेषाधिकार है और अकेले केंद्र सरकार को ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों पर विचार करते हुए, जो वह उचित समझती है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में लाइसेंस देकर इस विशेषाधिकार को छोड़ने का अधिकार है, इसलिए टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत दिया गया लाइसेंस केंद्र सरकार और लाइसेंसधारक के बीच एक अनुबंध की प्रकृति का है।

40. पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। देवांस मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड, (2004) 11 एस. सी. सी. 26, हर शंकर मामले पर भरोसा करते हुए, (1975) 1 एस. सी. सी. 737 और पन्ना लाल बनाम। राजस्थान राज्य, (1975) 2 एस. सी. सी. 633, पैरा 121 में पी. 106 कि शराब का लाइसेंस जारी करना दोनों के बीच एक अनुबंध है।

पार्टियाँ। इस प्रकार, एक बार जब टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के प्रावधान के तहत लाइसेंस जारी किया जाता है, तो लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच एक अनुबंध बन जाता है। नतीजतन,

लाइसेंस समझौते में समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा सहित लाइसेंस के नियम और शर्तें लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच एक अनुबंध का हिस्सा हैं। हालाँकि, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या 1997 में ट्राई अधिनियम के अधिनियमन ने दूरसंचार गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित किया है और

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत लाइसेंसधारी को दिए गए लाइसेंस की संविदात्मक प्रकृति में बदलाव किया गया।

41. ऊपर उद्धृत टी. आर. ए. आई. अधिनियम की धारा 2 (ई) "अनुज्ञप्तिधारी" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है निर्दिष्ट सार्वजनिक दूरसंचार प्रदान करने के लिए टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी व्यक्ति I. O. N. O. I. N. O. I. N. O. I. N. I. I. I

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

सेवाएँ और धारा 2 (ई. ए.) "अनुज्ञापत्रकर्ता" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है केंद्रीय

सरकार या टेलीग्राफ प्राधिकरण जो इसके तहत लाइसेंस प्रदान करता है

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4। उप-धारा 2 (के) परिभाषित करती है

" दूरसंचार सेवा "बहुत व्यापक रूप से ताकि सभी प्रकार को शामिल किया जा सके

दूरसंचार गतिविधियाँ। ट्राई के तहत ये प्रावधान

अधिनियम केंद्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करता है

दूरसंचार गतिविधियों को जारी रखना और न ही वे परिवर्तन करते हैं

परंतुक के तहत दिए गए लाइसेंस की संविदात्मक प्रकृति

टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1)।

(जोर दिया गया)

3. मामले पर विचार के दौरान, दायर किए गए एम. ए. से संबंधित

ई भारत संघ भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने के लिए, यह था

पता चला कि कई दूरसंचार सेवा प्रदाता दिवालिया हो गए थे

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में)

कोड ")। इस न्यायालय ने 20.7.2020 पर एक आदेश पारित किया, और इसे यहाँ नीचे उद्धृत किया गया हैः

केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रार्थना के संबंध में अवधि और पारित आदेश के अनुसार भुगतान करने के लिए समय सीमा

इस न्यायालय द्वारा। सुनवाई के दौरान, फिर से एक प्रयास किया गया था

हमारे निर्णय और आदेशों से बाहर निकलने के लिए बनाया गया, जो थे

इस न्यायालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन की आड़ में पारित किया गया और

पुनर्मूल्यांकन। इसकी कतई अनुमति नहीं है। निर्णय को देखते हुए, के संबंध में आगे कोई विवाद उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है

कोई भी वस्तु या नया विवाद खड़ा करना। कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है

देय राशि का सम्मान करें और उन्हें भुगतान करना होगा। मुकदमे का नया दौर

प्रतिबंधित है। दूसरी पारी में, हमने इसके बाद भी यही सुना है

मुद्दों को टी. डी. एस. ए. टी. को भेजना। इसके बाद कोई सवाल ही नहीं है।

भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करना। और देय राशि का भुगतान किया गया। किसी भी विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा। द.

गणना जो दी गई है और वसूल की जाने वाली राशि

2020 के एम. ए. डी. संख्या 9887 के पृष्ठों 180-181 पर (आवेदन के लिए)

2015 के सी. ए. सं. 6328-6399 में संशोधन) के रूप में लिया जाता है।

अंतिम राशि और इसके बारे में कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है। नहीं।

पुनः गणना और आत्म-मूल्यांकन किया जा सकता है। द. गणना इस प्रकार हैः

[2020

] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" प्रमुख टी. एस. पी. से प्राप्त होने योग्य राशि

प्राथमिक मूल्यांकन

कंपनी का नाम

एस.

कुल मांग

स्व-मूल्यांकन

भुगतान प्राप्त हुआ

देय शेष राशि

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा

06.03.2020 तक

(रु।

(रु. क्र.)

नहीं।

डीओटी का

ग्रा.)

सम्मिलित करना

के अनुसार

माननीय एससी

सी एंड एजी और

विशेष लेखापरीक्षा निर्णय (रु। क्र.)

अक्टूबर तक

2019 (रु. क्र.)

(एलएफ + एसयूसी)

एस.

ए.

बी.

डी.

मुकदमे में सक्रिय टी. एस. पी. पक्षकार

1 . भारती एयरटेल समूह

13004.00

18, 004.00

2 . टेलीनॉर इंडिया

25976.00

43980.00

निजी सीमित

43980.00

भारती समूह

13004.00

18004.00

3 . आइडिया सेल्युलर लिमिटेड।

58254.00

21533 (एलएफ 14453

54, 754.00

4 . का वोडाफोन समूह

3, 500.00

+ एसयूसी 7080)

कंपनियाँ

54754.00

3500.00

वोडाफोन आइडिया

5 . टाटा समूह

2197 (एलएफ 1720 +

कंपनियाँ

12, 601.00

16798.00

4, 197.00

एसयूसी 477)

6 . क्वाड्रेंट

टेलीविजन

25.28

189.91

0.69

189.22

सीमित

194.79 (एलएफ

7 . विश्वास जियो

70.53

इंफोकॉम लिमिटेड।

148.03 + एसयूसी

195.18

46.76)

उप-कुल (1-7)

25, 896.87

93520.22

दिवाला के तहत टीएसपीएस

12389.00

12389.00

8 . एयरसेल ग्रुप ऑफ

कंपनियाँ

9. विश्वास

संचार /

3.96

रिलैन्स टेलीकोम

25199.27

सीमित

25194.58

222.1 (एलएफ

10 . सिस्टेमा श्याम

0.73

166.1 + एसयूसी 56)

टेलीसर्विसेज लिमिटेड।

11 . वीडियो

दूरसंचार

1376.00

1376.00

लिमिटेड।

4.69

38959.58

उप-कुल (8-10)

38964.27

टी. एस. पी. जो भारत के एन. आई. ओ. एन. बनाम मुकदमे में पक्षकार नहीं थे।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

लूप टेलीकॉम पी. वी. टी.

लिमिटेड।

ETISALAT डी. बी. टेलीकॉम

604.00

604.00

एस टेल पीवीटी। लिमिटेड। भारत शंकर

5835.85

5

835.85

नाइगम लिमिटेड

महानगर

4

352.09

टेलीफ़ोन नाइगम

4352.09

सीमित

उप-कुल (11-16)

1

0791.94

10791.94

222.1

0.00

25901.56

कुल

169048.65

ध्यान दें:

1. कुल मांगों में मूलधन, ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज शामिल हैं। 2. कुल मांगों की गणना आम तौर पर वित्त वर्ष 2016-17 तक की गई है। इन बकाया राशियों पर ब्याज/जुर्माना /

जुर्माने पर ब्याज की गणना अक्टूबर, 2019 तक की जाती है।

3. विभागीय आकलन, कैग लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षा, अदालती मामलों आदि के कारण सभी देय राशि आगे के संशोधन के अधीन हैं। हालाँकि, जब हम दिवालिया होने के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बकाया पर विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि कई हैं

ऐसी कंपनियाँ जिनका रुपये तक का बकाया है। 38, 964.27 करोड़, जो परिसमापन के तहत चले गए हैं। चूंकि बकाया बहुत अधिक है, इसलिए हम इसकी शुरुआत की वास्तविकता की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं। आई. बी. सी. के अधीन कार्यवाही। कंपनियों के सभी दस्तावेजों को दें। परिसमापन और कार्यवाही में पारित आदेशों से संबंधित एयरसेल ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिलायंस कम्युनिकेशन/रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड और वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड को आज से 10 दिनों के भीतर रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए।

किश्तों में भुगतान करने के लिए की गई प्रार्थना और उनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के संबंध में हमने मामले को बंद कर दिया है। सरकार, इसकी समय सीमा और राशि को कैसे सुरक्षित किया जाए। आदेश उस पहलू पर आरक्षित है।

हालांकि, हम परिसमापन के तहत कंपनियों के संबंध में मामले को अलग से सुनेंगे और उनकी कार्रवाई की वास्तविकता का परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि की वसूली कैसे की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आज से 10 दिनों के भीतर दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखा जाए और मामले को इन कंपनियों के बारे में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

10.08.2020 पर उपरोक्त पहलू।

लिखित प्रस्तुतियाँ और उत्तर, यदि कोई हो, या

07.08.2020 "से पहले।

यह न्यायालय उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ईमानदारी की जांच करना चाहता था जिन्होंने दिवालिया होने की प्रक्रिया का सहारा लिया है, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया है

उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए। दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत से पहले, अधिकांश दूरसंचार सेवा प्रदाता जो दिवाला के दायरे में हैं

कार्यवाही ने दूरसंचार विभाग को आवेदन किया था अनुज्ञप्ति के व्यापार की अनुमति देना। केंद्र सरकार ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि उसके लिए अनुमति देना संभव नहीं होगा। उसने अनुमति देने से इनकार कर दिया। के बारे में भारी बकाया था

स्पेक्ट्रम लाइसेंस, जिसका भुगतान ऐसी अनुमति के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में किया जाना आवश्यक था। स्पेक्ट्रम के संबंध में अंतर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई विभिन्न साझाकरण व्यवस्थाएं भी सामने आईं। 4. भारत संघ, दूरसंचार विभाग का रुख है कि धारा 14 और 18 के प्रावधानों को देखते हुए स्पेक्ट्रम आई. बी. सी. कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है। के तहत देय राशि

स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए लाइसेंस को परिचालन बकाया की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसके विपरीत, वाणिज्य विभाग की राय है कि लाइसेंस के तहत बकाया परिचालन बकाया है, और आई. बी. सी. के प्रावधान लागू हैं। विभाग का

दूरसंचार ने यह भी बताया कि दिशानिर्देश संख्या के अनुसार। 10 , 11 ,

और 2015 के व्यापार से संबंधित दिशानिर्देशों में से 12, यह व्यापार लाइसेंस की एक पूर्व शर्त है कि विक्रेता लाइसेंस बकाया का भुगतान करता है। उसके बाद, खरीदार को दिशानिर्देशों के पैरा 10,11 और 12 में दिए गए बकाये का भुगतान करना होगा। 5. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का रुख है कि संहिता के तहत दिवालिया होने की कार्यवाही ईमानदारी से शुरू की गई है। यह न्यायालय

इन कार्यवाही में सीमित प्रश्न की जांच कर सकते हैं कि क्या कार्यवाही का सहारा एजीआर बकाया के भुगतान से बचने के लिए एक छल के रूप में लिया जाता है, और यह एनसीएलटी को तय करना है कि क्या लाइसेंस/स्पेक्ट्रम कर सकता है। हस्तांतरण किया जाए और संहिता के प्रावधानों के तहत शुरू की गई समाधान प्रक्रिया का हिस्सा बनें। क्या स्पेक्ट्रम/लाइसेंस को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से संबंधित परिसंपत्ति के रूप में समाधान प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है, और क्या एजीआर बकाया परिचालन बकाया है और क्या इसे भारत संघ से निपटाया जाना है।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

एन. सी. एल. टी. द्वारा आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत। साझाकरण व्यवस्था के तहत विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा कारोबार या साझा किए गए स्पेक्ट्रम की सीमा तक व्यापार और साझाकरण व्यवस्था के संबंध में,

दिशानिर्देशों के अनुसार दायित्व संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वहन किया जाना है।

6. 2015 में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार, स्पेक्ट्रम साझाकरण ऑपरेटरों को अनुमति देता है

एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग के लिए अपने संबंधित स्पेक्ट्रम को इकट्ठा करें। केंद्र सरकार ने स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए

24.9.2015 . 7. विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच साझा व्यवस्था का विवरण दिया गया है।

8. "स्पेक्ट्रम व्यापार" पक्षों को अपने अधिकारों और दायित्वों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। स्पेक्ट्रम साझा करने के मामले में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार संबंधित दूरसंचार सेवा के पास रहता है। प्रदाता, जबकि स्पेक्ट्रम व्यापार के मामले में, उपयोग का अधिकार खरीदार से विक्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है। स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के तहत

दिशा-निर्देश, हुए लेन-देन का विवरण दिया गया है।

9. एक अन्य पहलू यह है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए कितना समय दिया जाना है। भारत संघ पर

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भारतीय बैंक संघ द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व ने 20 वर्षों के भीतर किश्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

10. निम्नलिखित तीन प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

(1) क्या स्पेक्ट्रम के तहत कार्यवाही की जा सकती है

कोड?

(2) साझा करने के मामले में, दूरसंचार सेवा प्रदाता (संक्षेप में, 'टीएसपी') द्वारा भुगतान कैसे किया जाना है? और

(3) व्यापार के मामले में, विक्रेता और खरीदार के दायित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है?

रे में। क्या स्पेक्ट्रम कार्यवाही के अधीन हो सकता है

संहिता के तहत? 11. भारत सरकार की ओर से भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने निम्नानुसार तर्क दिया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार को निम्नलिखित की स्थापना करने का विशेष विशेषाधिकार है -

तारों को बनाए रखना और काम करना। डी. ओ. टी. लाइसेंस प्रदान करता है जो संविदात्मक व्यवस्था के रूप में होते हैं। टी. एस. पी. उसमें निहित नियमों और शर्तों से बंधे हैं। संविदात्मक शर्तों के अनुसार, लाइसेंस नियमों और शर्तों की पूर्ति पर सख्ती से निर्भर है, भुगतान सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। भुगतान की विफलता पर, लाइसेंसकर्ता लाइसेंस समझौते के तहत कार्रवाई करने का हकदार है, जिसमें शामिल हैं -

निरसन और समाप्ति।

(ii) स्पेक्ट्रम एक दुर्लभ मान्यता प्राप्त प्राकृतिक संसाधन है, और इस न्यायालय ने 2 जी निर्णय [2010 के C.A.No.423] में कहा कि प्राकृतिक

संसाधन लोगों के हैं और संहिता के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं किए जा सकते हैं। राज्य प्राकृतिक निकाय के संरक्षक और न्यासी के रूप में कार्य करता है। संसाधन।

(iii) लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम का मालिक नहीं है और उसे केवल उपयोग करने का अधिकार दिया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर आधारित है -

लाइसेंस समझौते के रूप में अनुबंध। इस प्रकार, स्पेक्ट्रम को संहिता के तहत कार्यवाही में हस्तांतरण के अधीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि लाइसेंसधारी मालिक नहीं है। धारा 18 (च), अपने स्पष्टीकरण (क) के साथ, यह अनिवार्य करती है कि केवल निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को समाधान पेशेवरों द्वारा नियंत्रण और अभिरक्षा में लिया जा सकता है, जो निगमित देनदार के स्वामित्व में है। धारा 18 के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि निगमित देनदार के कब्जे में किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली या संविदात्मक व्यवस्थाओं के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को धारा 18 के उद्देश्य के लिए 'परिसंपत्तियां' शब्द में शामिल नहीं किया गया है। यह धारा 18 की संपत्ति नहीं है। संविदात्मक व्यवस्था के तहत रखा गया स्पेक्ट्रम निगम की संपत्ति नहीं है। ऋणी। स्पेक्ट्रम संहिता के तहत कार्यवाही का विषय नहीं हो सकता है। समाधान पेशेवर के पास तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिगम स्पेक्ट्रम के व्यापार के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार समाधान योजना (संक्षेप में, '2015 के दिशानिर्देश') 12.10.2015 पर जारी की गई।

(iv) दिशानिर्देश No.10 में प्रावधान है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार के व्यापार के लिए, दोनों लाइसेंसधारक एक वचन देंगे कि वे इसमें हैं।

स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों का अनुपालन जो विक्रेता और खरीदार दोनों हैं। यदि स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए नियम और शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो सरकार को व्यापार व्यवस्था को रद्द करने सहित उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

भारत संघ v. भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

(v) दिशानिर्देश संख्या के अनुसार। 11 और 2015 के दिशानिर्देशों में से 12 में विक्रेता को बकाया राशि का भुगतान करना होता है। कारोबार की तारीख के बाद, सरकार ने

विक्रेता या खरीदार से संयुक्त रूप से या अलग-अलग राशि की वसूली करने का विवेकाधिकार।

(vi) लाइसेंस के व्यापार के लिए अनुमति मांगी गई थी; हालाँकि, भारत सरकार, डीओटी ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि बकाया का भुगतान करना पड़ता है।

और अन्य शर्तें पूरी नहीं की गईं। उसके बाद, दिवाला कार्यवाही शुरू की गई, जो संहिता की धारा 18 में निहित प्रावधानों के संबंध में अनुमेय नहीं थी।

(vii) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'एन. सी. एल. टी.'), मुंबई ने दिनांक 27.11.2019 के आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि लाइसेंस की एक संपत्ति है -

ऐसा राज्य जिस पर निगमित ऋणी का स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर लिया गया था; हालाँकि, स्थगन पर धारा 14 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, लाइसेंस को रद्द नहीं किया जा सका। ऊपर उल्लिखित आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में, 'एन. सी. एल. ए. टी.') के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसे सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था। लाइसेंस रद्द करने के संबंध में एक अपील दायर की गई है, जो 2020 की डायरी No.15564 के रूप में पंजीकृत इस न्यायालय में लंबित है।

(viii) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस कुछ नियमों और शर्तों पर दिया गया था। स्पेक्ट्रम ने किया

संहिता की धारा 3 (27) में परिभाषित संपत्ति का अर्थ नहीं है।

(ix) सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के संबंध में, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड ओआरएस पर निर्भरता रखी गई है। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (2012) 3 एस. सी. सी. 1, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा देश के हित में किया जाना चाहिए, न कि निजी हित में। निगम ऋणी को कभी भी किसी भी व्यवसाय में नहीं कहा जा सकता है

संहिता की धारा 14 (1) (डी) के अनुसार लाइसेंस या स्पेक्ट्रम। किसी भी विवाद का निपटारा दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण द्वारा भारत अधिनियम, 1997।

(x) रिलायंस को मेसर्स पर रखा गया है। दूतावास की संपत्ति

विकास प्रा. लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य [2019 का C.A.No.9170], जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता खदान के अधिकार पर लागू नहीं होगी

निगमित देनदार को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था और अनुदान खनन, उत्खनन और लौह अयस्क और लाल [2020] 11 एस. सी. आर. की वसूली के अधिकार तक सीमित था।

एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑक्साइड। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 14 (1) (डी) में पाए जाने वाले अधिकार का खनन पट्टा द्वारा प्रदत्त अधिकारों से कोई लेना-देना नहीं होगा, विशेष रूप से खनन पट्टा पर।

सरकारी जमीन।

(xi) राम दास बनाम। देविंदर, (2004) 3 एस. सी. सी. 684, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कब्जा एक मालिक के रूप में संपत्ति रखने के बराबर है, जबकि कब्जा करने के लिए है

9.6.2020 एन. सी. एल. टी. द्वारा यू. वी. ए. आर. सी. की समाधान योजना को मंजूरी देते हुए, डी. ओ. टी. ने एयरसेल समूह से संबंधित एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक याचिका दायर की है। दिशानिर्देश वैधानिक और बाध्यकारी हैं। एयरसेल लाइसेंसधारी ने विलंबित स्पेक्ट्रम नीलामी का भुगतान करने में चूक की है। (xiii) आर. सी. ओ. एम. के मामले में, डब्ल्यू. पी. (सी) 2018 का No.845 भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया था।

सी. आई. आर. पी. ने इसके खिलाफ पहल की। उसके बाद मेसर्स को भुगतान किया गया। एरिक्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड, जिसने संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की। आर. सी. ओ. एम. ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (संक्षेप में, 'आर. जे. आई. एल.') के व्यापार के लिए एन. ओ. सी. की मांग की है। डीओटी ने इसे 14.12.2018 पर सूचित किया कि सरकार व्यापार के लिए एनओसी नहीं दे सकी। इस न्यायालय ने 24.4.2019 पर कार्यवाही का फैसला किया। इसके बाद, आर. सी. ओ. एम. के निदेशक मंडल ने संहिता के तहत कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया और एन. सी. एल. ए. टी. से अपील वापस लेने का फैसला किया। आर. सी. एल./आर. टी. एल. विभिन्न स्थगित स्पेक्ट्रम नीलामी किश्तों के भुगतान में चूक करता है।

(xiv) 2015 का सी. ए. <आई. डी. 1 होने के कारण ए. जी. आर. के मामले सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले विचाराधीन थे। एक मांग थी आर. सी. एल./आर. टी. एल. तक बढ़ा। आर. सी. एल./आर. टी. एल. की ए. जी. आर. बकाया राशि Rs.25,199.27 है।

करोड़।

भारत संघ v. भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

(xv) वीडियोकॉन के मामले में, डीओटी पक्षकार नहीं था। डीओटी को संहिता के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए लेनदारों की समिति की बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया था। समाधान पेशेवर ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन किया कि डी. ओ. टी. को वीडियोकॉन द्वारा प्रस्तुत कुछ बैंक गारंटी को भुनाने से रोका जाए, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई है।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने निम्नलिखित तर्क दियाः

(i) एन. सी. एल. टी. को इस सवाल का फैसला करना चाहिए कि क्या स्पेक्ट्रम

आर. जे. आई. एल. आर. सी. ओ. एम. या किसी अन्य कंपनी के समाधान आवेदक से कोई स्पेक्ट्रम खरीदने का भी प्रस्ताव नहीं कर रहा है। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन केवल साझाकरण और व्यापार की अनुमति है। आर. सी. ओ. एम. की परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम, अचल संपत्ति और सक्रिय परिसंपत्तियां शामिल हैं। भले ही इस न्यायालय ने इस तरह के स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति दी हो, लेकिन आर. जे. आई. एल. का इसे हासिल करने का इरादा नहीं है। (iii) आर. जे. आई. एल. ने स्व-मूल्यांकन के आधार पर Rs.195 करोड़ का भुगतान किया है और डी. ओ. टी. द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा।

13. श्री श्याम दीवान और श्री रवि कदम, आरकॉम, एयरसेल लिमिटेड के लेनदारों की समिति की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील और डिशनेट वायरलेस लिमिटेड ने तर्क दियाः

(i) स्पेक्ट्रम और दूरसंचार लाइसेंस दूरसंचार कंपनी की परिसंपत्तियाँ हैं। संहिता की धारा 18 (च) यह आदेश देती है कि समाधान पेशेवर किसी भी संपत्ति का नियंत्रण और अभिरक्षा लेगा जिस पर निगम

देनदार के पास स्वामित्व अधिकार हैं जैसा कि बैलेंस शीट में दर्ज है निगमित देनदार। धारा 18 (च) (iv) में अमूर्त परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। दूरसंचार

लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार अमूर्त परिसंपत्तियों का एक हिस्सा है। उपयोग करने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। वित्तीय विवरण में दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया गया था। दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के बिना, एयरसेल संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की कोई उम्मीद नहीं होगी।

(ii) लाइसेंस समझौते का खंड 6 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी पूर्व शर्त के लाइसेंस के हस्तांतरण के प्रतिबंधों से संबंधित है।

अनुज्ञप्तिग्राही की लिखित सहमति। इसे कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्थानांतरित किया जा सकता है। (iii) रिलायंस को 7.3.2012 दिनांकित परामर्श पत्र पर रखा गया है। इसके लाइसेंस/स्पेक्ट्रम को एक अमूर्त संपत्ति माना जाता है, और लेखा पृथक्करण विनियम, 2016 पर रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए दिशानिर्देशों में,

स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को फिर से एक अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। भारतीय लेखा मानक-38 को यह इंगित करने के लिए भी संदर्भित किया गया है कि एक परिसंपत्ति आगे के आर्थिक लाभों के लिए इकाई द्वारा नियंत्रित एक संसाधन है। स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दूरसंचार कंपनी की संपत्ति होने के कारण ट्रस्ट के तहत किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं हैं।

(iv) एयरसेल संस्थाओं के लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को टी. पी. ए. के संदर्भ में ऋणदाताओं द्वारा प्रतिभूति में रखा जाता है, जिसमें डी. ओ. टी. भी एक पक्ष है। में।

समाधान योजनाओं में, डीओटी ने एक परिचालन लेनदार के रूप में काम किया। एन. सी. एल. टी. ने लेन-देन स्पेक्ट्रम के लिए डी. ओ. टी. की मंजूरी लेने के लिए कहा। इस प्रकार, अनुमति देना डीओटी का काम है। डॉट को मंजूरी देनी होगी

समाधान योजना का कार्यान्वयन।

(v) संहिता में प्रावधान है कि समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति और ऋणदाताओं के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

एन. सी. एल. टी. संहिता की धारा 31 के संदर्भ में और परिसमापन संहिता की धारा 53 में निर्धारित प्राथमिकता के संदर्भ में किया जाना है। धारा 5 (20) 'परिचालन लेनदार' को परिभाषित करती है। धारा 5 (21) सरकार को देय देय राशि को शामिल करने के लिए 'परिचालन ऋण' को परिभाषित करती है। इस प्रकार, बकाया भुगतान के लिए डीओटी के दावे परिचालन ऋण हैं, और डीओटी एक परिचालन लेनदार है।

(vi) रिलायंस को संहिता की धारा 31 पर रखा गया है। समाधान योजना निगमित देनदारियों के लिए बाध्यकारी होगी, जिसमें शामिल हैं -

केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार जिसे उस समय लागू किसी भी कानून के तहत उत्पन्न बकाया के भुगतान के संबंध में ऋण है। रिलायंस को एस्सार के ऋणदाताओं की समिति में भी रखा गया है। स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता और अन्य। , (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1478।

(vii) संहिता के तहत कार्यवाही को लागू करने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है

14. श्री रंजीत कुमार, एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड के लेनदारों की समिति की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील और डिशनेट वायरलेस लिमिटेड ने तर्क दिया कि:

भारत संघ v. भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

(i) संहिता के तहत, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने एक समाधान योजना प्रस्तुत की है, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा 9.6.2020 पर अनुमोदित किया गया है। एयरसेल इकाइयों के पास दूरसंचार लाइसेंस हैं। डी. ओ. टी. द्वारा जारी लाइसेंसों में त्रिपक्षीय के निष्पादन के लिए प्रारूप होता है। अनुज्ञप्तिदाता, अनुज्ञप्तिधारी और ऋणदाताओं के बीच समझौता। उन्होंने निम्नलिखित अनुच्छेद पर भरोसा किया हैः

" ऊपर उल्लिखित अनुज्ञप्ति के अनुसरण में अनुज्ञप्ति द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना के वित्तपोषण में सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए, यहां के पक्ष अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण/असाइनमेंट प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों को दर्ज करने के इच्छुक हैं, जैसा कि इस समझौते में इसके बाद प्रदान किया गया है ताकि ऋणदाता के वित्तीय सहायता के अनुदान से उत्पन्न होने वाले हित की रक्षा और सुरक्षा की जा सके।

लाइसेंस "।

(ii) एयरसेल संस्थाओं ने ऋणदाताओं को प्रतिभूति के रूप में स्पेक्ट्रम की पेशकश की है।

ऋणदाताओं द्वारा एयरसेल संस्थाओं को दिए गए ऋणों के विरुद्ध। इस प्रकार, स्पेक्ट्रम पर डीओटी का दावा संहिता के अनुसार ऋणदाताओं के दावों के अधीन होगा, और डीओटी को एक परिचालन लेनदार के रूप में माना जाना चाहिए।

((iii) बैंक ऋण देने के व्यवसाय में हैं।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए, उसी तरह सरकार स्पेक्ट्रम के व्यवसाय में है। अनुज्ञप्ति के खंड 6.3 के अनुसार

समझौता, लाइसेंस को लाइसेंसकर्ता, लाइसेंसधारी और ऋणदाताओं के बीच सहमत शर्तों की पूर्ति के अधीन हस्तांतरित किया जा सकता है।

संदर्भित किया गया। अधिस्थगन बनाए जाने के बाद धारा 14 के तहत पिछले बकाया के आधार पर लाइसेंस, अनुमति को रद्द करना प्रतिबंधित है। वर्तमान बकाया का भुगतान अधिस्थगन अवधि के दौरान किया जाना है। उन्होंने धारा 3 (27) और 14 (1) का उल्लेख किया है। (v) संहिता के प्रावधानों को प्रबल होना चाहिए। सरकार ने लाइसेंस देकर शुद्ध व्यावसायिक लेन-देन किया है और

अनुदान के विरुद्ध शुल्क लेना। स्पेक्ट्रम दूरसंचार के लिए एक कच्चा माल है कंपनियाँ। यदि स्पेक्ट्रम का लाइसेंस समाप्त कर दिया जाता है, तो संकल्प

पेशेवरों को कंपनी को चल रही संस्था के रूप में चलाने में मुश्किल होगी। डीओटी एक परिचालन लेनदार है। ए. जी. आर. बकाया संविदात्मक बकाया है और सुरक्षित लेनदारों के बकाया पर इसकी प्राथमिकता नहीं हो सकती है। उन्होंने यह तर्क देने के लिए धारा 53 का उल्लेख किया है कि परिचालन लेनदार को [2020] 11 एस. सी. आर. तरीके से संरक्षित किया गया है।

कोड में दिया गया है। संहिता की धारा 238 में इस आशय का एक गैर-अबाधित खंड है कि इसके साथ असंगत कुछ भी किसी भी अधिनियम में निहित है।

कुछ समय के लिए लागू अन्य कानून, संहिता प्रबल होगी। इस प्रकार, संहिता भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के प्रावधानों को ओवरराइड करती है।

15. आर. सी. ओ. एम. के मामले में समाधान योजना लंबित है

संहिता की धारा 31 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का विचार।

16. क्या स्पेक्ट्रम को संहिता के तहत कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यह एक

प्राकृतिक संसाधन, और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत, सरकार के पास संप्रभु अधिकार है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 यहाँ नीचे निकाली गई हैः

" 4. तार और शक्ति के संबंध में विशेष विशेषाधिकार

लाइसेंस देने के लिए। - (1) भारत के भीतर, केंद्र सरकार को स्थापना, रखरखाव और रखरखाव का विशेष विशेषाधिकार होगा।

कार्यशील तारः

बशर्ते कि केंद्र सरकार ऐसी शर्तों पर और ऐसे भुगतानों पर विचार करते हुए लाइसेंस प्रदान कर सकती है

किसी भी व्यक्ति को टेलीग्राफ स्थापित करने, बनाए रखने या काम करने के लिए उपयुक्त समझता है

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, स्थापना, रखरखाव और काम करने की अनुमति दे सकती है जो वह उचित समझती है।
(क) भारतीय क्षेत्र के भीतर जहाजों पर तारारहित तारों का

भारत या भारतीय क्षेत्र के भीतर या ऊपर जल और विमानों पर

जल और

भारत से।

स्पष्टीकरण। लाइसेंस देने के लिए किए गए भुगतान

इस उप-धारा के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए जिम्मेदार ऐसी राशि शामिल होगी जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

भारत का आयन बनाम। भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत अपनी सभी या कोई भी शक्ति टेलीग्राफ प्राधिकरण को सौंप सकती है।

टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग

प्रत्यायोजित व्यक्ति ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा लागू करना उचित समझे।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे पहले परंतुक के तहत लाइसेंस दिया गया है उप-धारा (1) भारत के किसी भी भाग में तार की स्थापना, रखरखाव या काम करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान करेगी जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है

(ग) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 4 के तहत जारी किए गए पासपोर्ट का उपयोग; या (घ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या पहचान के तरीकों का उपयोग।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे पहले परंतुक के तहत लाइसेंस दिया गया है

उप-धारा (1) के तहत भारत के किसी भी हिस्से में तार की स्थापना, रखरखाव या काम करने के लिए उप-धारा के खंड (ए) के तहत प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा रहा है।

धारा (3) किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए जिसे वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है, यह उप-धारा (3) के खंड (बी) से (डी) के तहत पहचान के अन्य तरीकों को भी ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएगी।

संख्या। (6) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के लिए, उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है, तो न तो उसकी मूल बायोमेट्रिक जानकारी और न ही व्यक्ति की आधार संख्या संग्रहीत की जाएगी।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(7) उप-धारा (3), (4) और (5) में निहित कुछ भी नहीं रोकेगा।

केंद्र सरकार आगे के सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करने से और पहचान के संबंध में उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत लाइसेंस दिए गए किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुपालन के लिए शर्तें

वह व्यक्ति जिसे वह अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण। अभिव्यक्तियाँ "आधार संख्या" और "मूल"

बायोमेट्रिक जानकारी "के वही अर्थ होंगे जो हैं आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी का लक्षित वितरण) की धारा 2 के खंड (ए) और (जे) में उन्हें क्रमशः सौंपा गया है।

लाभ और सेवा) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)। ”

17. धारा 3 (10) 'लेनदार' को परिभाषित करती है। 'ऋण' शब्द को धारा 3 (11) में परिभाषित किया गया है। अभिव्यक्ति 'संपत्ति' को धारा 3 (27) में परिभाषित किया गया है।

' 'परिचालन लेनदार' को भाग II की धारा 5 (20) में निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन शीर्षक के तहत परिभाषित किया गया है।

धारा 5 (21) परिचालन ऋण को परिभाषित करती है।

18. स्वामित्व के बारे में सवाल उठाया गया है। क्या

टी. एस. पी. एस. को दिए गए लाइसेंस के तहत स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार के आधार पर मालिक कहा जा सकता है? क्या लाइसेंस संविदात्मक है

व्यवस्था? क्या स्वामित्व भारत सरकार का है?

क्या अनुबंध के तहत स्पेक्ट्रम को संहिता की धारा 18 के तहत कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है? सवाल यह भी उठता है कि क्या स्पेक्ट्रम को कब्जे में कहा जा सकता है, जो स्वामित्व से उत्पन्न होता है। अधिकार और व्यवसाय में क्या अंतर है? क्या

स्वामित्व का संबंध स्वामित्व अधिकार से है? व्यापार और दिवालिया कार्यवाही के बीच के अंतर के बारे में भी एक सवाल उठता है। क्या दिवालिया कार्यवाही के तहत लाइसेंस हस्तांतरित किया जा सकता है, विशेष रूप से जब व्यापार विक्रेता या खरीदार द्वारा बकाया राशि की निकासी के अधीन है, जैसा कि दिशानिर्देश Nos.10 और 11 में प्रदान किया गया है;

जबकि दिवाला कार्यवाही में बकाया राशि समाप्त कर दी जाती है। स्पेक्ट्रम दिवालिया कार्यवाही के अधीन होने के मामले में दिशानिर्देश No.12 को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

19. यह भी जांचना आवश्यक है कि जब सरकार ने व्यापार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और व्यापार के लिए एनओसी जारी नहीं की है।

लाइसेंस समझौते में निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के आधार पर, स्पेक्ट्रम को समाधान कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है जिसका प्रभाव सरकार के बकाया को समाप्त करने का होगा, जो कि <ID1,000 करोड़ से अधिक है। जबकि बैंकों का बकाया बहुत कम है। क्या डी. ओ. टी. की अनुमति प्राप्त करना और भारत का संघ v.

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

22. मौलिक महत्व का एक सवाल यह भी उठता है कि क्या स्पेक्ट्रम एक प्राकृतिक संसाधन है, सरकार के पास सेस्टीक ट्रस्ट के समान है। संसाधन की प्रकृति को देखते हुए, इसे दिवालिया/परिसमापन कार्यवाही के अधीन किया जा सकता है। इससे पहले लाइसेंस प्राप्त किया गया था अग्रिम रूप से शुल्क का भुगतान जो टी. एस. पी. के लिए फायदेमंद नहीं था, क्योंकि इस तरह की एक नई राजस्व साझाकरण व्यवस्था 1999 में तैयार की गई थी, और केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम के उपयोग में टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत एक विशेष अधिकार है, वह कुछ वैधानिक दिशानिर्देशों के साथ भाग ले सकती है, इसका उपयोग आवश्यक शुल्क के भुगतान के बिना अनुमत नहीं है।

क्या लाइसेंस के तहत बकाया को परिचालन बकाया कहा जा सकता है? यह भी जांचा जाना है कि क्या भुगतान स्थगित/चूक किया गया है स्पेक्ट्रम अधिग्रहण लागत की किश्तों को एजीआर बकाया के अलावा परिचालन बकाया कहा जा सकता है। चाहे राजस्व साझाकरण व्यवस्था के अनुसार हो

और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार, बकाया को परिचालन बकाया कहा जा सकता है? क्या प्राकृतिक संसाधन आवश्यक देय राशि के भुगतान के बिना उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे, क्या संहिता के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर इस तरह के बकाया राशि को मिटाया जा सकता है और

सरकार के तुलनात्मक बकाया और सुरक्षित ऋणदाताओं और कार्यवाहियों की ईमानदारी पर भी विचार किया जाना चाहिए। 23. हम इसे उचित मानते हैं कि उपरोक्त विभिन्न प्रश्नों पर पहले एन. सी. एल. टी. द्वारा विचार किया जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. को [2020] 11 एस. सी. आर. पर विचार करने दें।

उपरोक्त पहलू और सभी पक्षों को सुनने के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह एक अधिकार क्षेत्र का प्रश्न होने के कारण, इसे होना आवश्यक है

इस स्तर पर ही चला गया। प्रश्न का निर्णय दो महीने की बाहरी सीमा के भीतर किया जाए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया है, और हमने सभी प्रश्नों को एन. सी. एल. टी. द्वारा जांच के लिए खुला रखा है।

रे में। साझा करना

क्षेत्र; और (iii) नीति के तहत स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है। रेडियो नेटवर्क उपकरण साझा करके, दो प्रचालक अपने स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं और अपने-अपने व्यवसाय की क्षमता का निर्माण करते हैं। भुगतान करने की देयता आवश्यक है एजीआर और लाइसेंस शुल्क संबंधित कंपनियों के पास रहता है। यहां तक कि डी. ओ. टी. ने अपने हलफनामे और दिनांकित 14.08.2020 के आदेश के अनुपालन में कहा है कि जहां तक स्पेक्ट्रम साझा करने का संबंध है:

" 4. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 2015 में डीओटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, "स्पेक्ट्रम साझाकरण" ऑपरेटरों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र (एलएसए) में उपयोग के लिए अपने संबंधित स्पेक्ट्रम को पूल करने की अनुमति देता है, इस प्रकार एक दूसरे की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं को पूरा करता है और स्पेक्ट्रम के अधिक कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। इसका कारण संसाधनों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाना और दूरसंचार विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है। 20 साल या उससे अधिक की पिछली अवधि के दौरान, कुछ ऑपरेटर ग्राहकों को प्राप्त करने और अन्य की तुलना में तेजी से बढ़ने में सक्षम रहे हैं।

प्रचालक। इसके परिणामस्वरूप स्पेक्ट्रम कुछ खिलाड़ियों के साथ अप्रयुक्त पड़ा रहता है जबकि अन्य ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्पेक्ट्रम एक डरावना संसाधन है।

भारत का आयन बनाम। भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

इस प्रकार, एक ओर स्पेक्ट्रम, जो एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है, कुछ दूरसंचार सेवाओं के लिए अप्रयुक्त रह सकता है

दूसरी ओर, प्रदाताओं (टी. एस. पी.) को अन्य टी. एस. पी. के साथ स्पेक्ट्रम की कमी के कारण सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा, स्पेक्ट्रम एक सेवा प्रदाता को एक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाता है जो आम तौर पर एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। राज्य की सीमाओं के साथ सह-अंत। विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, टी. एस. पी. की अपनी ग्राहक प्रोफ़ाइल के आधार पर अलग-अलग स्पेक्ट्रम आवश्यकताएँ हो सकती हैं।

स्पेक्ट्रम साझाकरण प्रचालक को एल. एस. ए. के भीतर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग के लिए अपने संबंधित स्पेक्ट्रम को एकत्रित करने की अनुमति देता है।

स्पेक्ट्रम की पूलिंग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की दूरसंचार यातायात ले जाने की क्षमता को बढ़ाती है और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकती है।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्पेक्ट्रम साझाकरण का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स को पूल करने का अवसर प्रदान करना और इस तरह वर्णक्रमीय दक्षता में सुधार करना था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि साझा करने से उन स्थानों पर अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता भी प्रदान की जा सकती है जहां स्पेक्ट्रम की कमी के कारण नेटवर्क की भीड़ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम साझाकरण के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी देते समय इन पहलुओं पर विचार किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) ने 21 जुलाई, 2014 को 'स्पेक्ट्रम साझाकरण पर दिशानिर्देशों' पर सिफारिशें कीं, जिन पर दूरसंचार आयोग (टी. सी.) द्वारा 11.06.1025 पर आयोजित अपनी बैठक में विचार और अनुमोदन किया गया और बाद में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांकित 24.09.2015 स्पेक्ट्रम साझाकरण दिशानिर्देशों की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक के रूप में चिह्नित है -

टी2।

6. स्पेक्ट्रम साझा करने के मामले में दोनों सेवा प्रदाताओं (भागीदारों) को एक ही बैंड और एक ही सेवा क्षेत्र में होना चाहिए। उदाहरण के लिए "यह बताया जा सकता है कि यदि एक ही बैंड में और एक ही सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की 100 इकाइयाँ रखने वाले दो सेवा प्रदाता हैं तो वे एक दूसरे के स्पेक्ट्रम को पारस्परिक रूप से साझा कर सकते हैं। प्रत्येक टी. एस. पी. के लिए 100 इकाइयों के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस. यू. सी.) पर विचार किया जाएगा और दोनों को उस बैंड और उस सेवा क्षेत्र में अपनी पूरी स्पेक्ट्रम होल्डिंग (प्रत्येक 100 इकाइयों) के लिए एस. यू. सी. का भुगतान करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. दो टी. एस. पी. एस. साझा स्पेक्ट्रम के लिए ए. जी. आर. बकाया के संबंध में, निम्नलिखित परिदृश्य सामने आता हैः

आई. साझा करने के मामले में, स्पेक्ट्रम हाथ नहीं बदलता है। दोनों टी. एस. पी. एक साथ उपयोग करते हैं और प्रत्येक के पास स्पेक्ट्रम तक पहुंच होती है।

ii. साझा व्यवस्था के अनुसार, प्रत्येक टी. एस. पी. एस. जारी रहेगा।

8. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, के अनुसार स्पेक्ट्रम साझाकरण दिशानिर्देश दिनांक 24.09.2015, अभिगम स्पेक्ट्रम के साझाकरण के लिए निम्नलिखित टी. एस. पी. एस. के अनुरोधों को रिकॉर्ड में लिया गया हैः

आई. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआईएल) और रिलायंस के लिए

ii. भारती एयरटेल लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड/टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के लिए, अनुलग्नक में उल्लिखित मात्रा के अनुसार 3 एलएसए (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मुंबई एलएसए) में 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम। iii. भारती एयरटेल लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड/टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के लिए, 2 एल. एस. ए. एस. (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, भारत का मध्य क्षेत्र बनाम 2100 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एल. एस. ए.) के अनुसार

अनुलग्नक में उल्लिखित मात्रा।

iv. भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड के लिए,

में उल्लिखित मात्रा के अनुसार राजस्थान एल. एस. ए. में स्पेक्ट्रम संलग्नक।

12. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि के बीच अंतर

एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम और इस प्रकार अधिक कुशल उपयोग के लिए एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करना

स्पेक्ट्रम से। यह संसाधनों के अनुकूलन की सुविधा भी प्रदान करता है

दूरसंचार विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।

ii. स्पेक्ट्रम व्यापार पक्षों को अपने स्पेक्ट्रम अधिकारों को हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।

अन्य सेवा प्रदाता को हस्तांतरित किया गया जिसका सामना करना पड़ सकता है स्पेक्ट्रम की कमी।

iii. स्पेक्ट्रम साझाकरण के मामले में, स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का अधिकार डी. ओ. टी. द्वारा दिया गया अनुदान संबंधित टी. एस. पी. के पास रहता है, जबकि

स्पेक्ट्रम व्यापार के मामले में, उपयोग का अधिकार हस्तांतरित हो जाता है

खरीदार से विक्रेता तक। " संपूर्ण साझाकरण दिशानिर्देशों से गुजरने पर, यह निर्धारित नहीं करता है

साझाकरण प्रचालक के पिछले बकाया के बारे में जानकारी देना। के मामले में

एनजी स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, प्रत्येक लाइसेंसधारी की दर

एन. जी. में समायोजित सकल राजस्व का 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साझा करना

एलीन्स दिनांकित 24.09.2015 को नीचे पढ़ा गया हैः

" नहीं। एल-14006/04/2015-एनटीजी

भारत सरकार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

डब्ल्यूपीसी विंग, छठी मंजिल, संचार भवन, नई दिल्ली

तारीखः 24 सितंबर, 2015 [2020] 11

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विषयः अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिगम स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशानिर्देश।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में स्पेक्ट्रम के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम के उदारीकरण की दिशा में जल्द से जल्द आगे बढ़ने की परिकल्पना की गई है

किसी भी बैंड में किसी भी प्रौद्योगिकी में कोई भी सेवा प्रदान करने के साथ-साथ उपयुक्त नियामक ढांचे के माध्यम से स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग को सक्षम करने के लिए स्पेक्ट्रम पूलिंग, साझाकरण और बाद में व्यापार की अनुमति देने के लिए। स्पेक्ट्रम पर ट्राई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद

साझा करते हुए, सरकार ने नीचे दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सेस स्पेक्ट्रम को साझा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया हैः

(1) . स्पेक्ट्रम साझाकरण की अनुमति केवल सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस) रखने वाले अभिगम सेवा प्रदाताओं के लिए होगी। एक अनुज्ञप्ति प्राप्त सेवा क्षेत्र (एल. एस. ए.) में अभिगम सेवा के प्राधिकरण के साथ एकीकृत अभिगम सेवा अनुज्ञप्ति (यू. ए. एस. एल.)/एकीकृत अनुज्ञप्ति (अभिगम सेवा) (यू. एल. (ए. एस.)/एकीकृत अनुज्ञप्ति (यू. एल.), जहां दोनों अनुज्ञप्ति प्राप्तकर्ताओं के पास एक ही श्रेणी में स्पेक्ट्रम है।

अलग-अलग बैंडों में स्पेक्ट्रम हैं। स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है। (4) . ट्रेडेड स्पेक्ट्रम सहित सभी एक्सेस स्पेक्ट्रम साझा किए जाने योग्य होंगे बशर्ते कि दोनों लाइसेंसधारियों के पास एक ही बैंड में स्पेक्ट्रम हो। इसके अलावा, यदि एक्सेस सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज जैसे और बैंड जोड़े जाते हैं।

नीलामी प्रक्रिया में स्पेक्ट्रम साझा करने की भी अनुमति दी जाएगी।

(5) . स्पेक्ट्रम साझा करने का अधिकार प्रासंगिक लाइसेंस शर्तों और अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा जो समय-समय पर लाइसेंसर/सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (6) दोनों लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे निर्दिष्ट रोल-आउट दायित्वों और निर्दिष्ट क्यू. ओ. एस. मानदंडों को पूरा करते हैं।

(7) एक लाइसेंसधारी अपने स्पेक्ट्रम को साझा करने का पात्र नहीं होगा यदि यह स्थापित किया गया है कि यह भारत के आई. ओ. एन. के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा है।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

लाइसेंस और लाइसेंसकर्ता ने इसके लाइसेंस को रद्द करने/समाप्त करने का आदेश दिया है।

(8) निम्नलिखित परिदृश्यों में साझा करने की अनुमति हैः

((i)। उस स्पेक्ट्रम के लिए जहां साझा करने की योजना बनाने वाले दोनों लाइसेंसधारियों के पास वह स्पेक्ट्रम है जिसके लिए बाजार मूल्य का भुगतान किया गया है।

(ii) यदि स्पेक्ट्रम साझा करने की योजना बनाने वाले दोनों लाइसेंसधारियों के पास उस बैंड में प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम साझा करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब दोनों लाइसेंसधारियों को आरक्षित मूल्य/नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर 4,4 मेगाहट्र्ज (जी. एस. एम.)/2.5 मेगाहट्र्ज (सी. डी. एम. ए.) से अधिक अपने-अपने स्पेक्ट्रम धारकों के लिए एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (ओ. टी. एस. सी.) का भुगतान किया है। लेकिन अगर

किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को छोड़कर न्यायिक मंचों में न्यायिक हस्तक्षेप के कारण उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, अंतरिम में, ऐसे मामलों में स्पेक्ट्रम साझा करने की भी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सरकार द्वारा उठाई गई मांग के बराबर राशि के लिए बैंक गारंटी जमा की जाए।

(10) . दोनों लाइसेंसधारक हस्तक्षेप मानदंडों सहित साझाकरण दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। (11) . स्पेक्ट्रम साझाकरण केवल दो लाइसेंसधारियों द्वारा साझा करने तक ही सीमित होगा, बशर्ते कि एक ही बैंड में कम से कम दो स्वतंत्र नेटवर्क प्रदान किए जाएँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(12) . स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस. यू. सी.) लेने के उद्देश्य से, यह माना जाएगा कि लाइसेंसधारक अपना पूरा शुल्क साझा कर रहे हैं।

पूरे एल. एस. ए. में विशेष बैंड में स्पेक्ट्रम धारण।

(13) . साझा करने के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी की स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस. यू. सी.) दर समायोजित सकल राजस्व का 0.5% बढ़ेगी। (एजीआर)। एस. यू. सी. लगाने के उद्देश्य से एक महीने के हिस्से, पूरे एक महीने की अवधि के लिए स्पेक्ट्रम साझा करने की गणना की जाएगी।

(14) . स्पेक्ट्रम सीमा के लिए निर्धारित सीमाएँ दोनों लाइसेंसधारियों के लिए अलग-अलग लागू होंगी। इसके अलावा, साझा किए जाने के बाद किसी भी लाइसेंसधारी की स्पेक्ट्रम होल्डिंग को बैंड में अन्य लाइसेंसधारी द्वारा रखे गए स्पेक्ट्रम का 50 प्रतिशत जोड़ने के बाद गिना जाएगा, जिसे बैंड में लाइसेंसधारी द्वारा रखे गए मूल स्पेक्ट्रम में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के रूप में जोड़ा जा रहा है।

(15) . स्पेक्ट्रम साझाकरण लाइसेंस की शेष अवधि तक या स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए उपलब्ध होगा। (16) . स्पेक्ट्रम साझा करने वाले दोनों लाइसेंसधारक साझा करने की प्रस्तावित प्रभावी तिथि से कम से कम 45 दिन पहले स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के अधिकार को साझा करने के लिए संयुक्त रूप से पूर्व सूचना देंगे। आवेदन प्रारूप इन दिशानिर्देशों के साथ अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

(17) . दोनों लाइसेंसधारक यह वचन भी देंगे कि वे स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशानिर्देशों के सभी नियमों और शर्तों और लाइसेंस की शर्तों का पालन कर रहे हैं और सहमत होंगे।

कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर यह स्थापित किया जाता है कि लाइसेंसधारी में से कोई भी शर्तों के अनुरूप नहीं था और स्पेक्ट्रम साझा करने के लिए दिशानिर्देशों या/और लाइसेंस की शर्तों के साथ स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को साझा करने के लिए सूचना देते समय, सरकार को उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साझा करने को रद्द करना भी शामिल हो सकता है।

व्यवस्था करें। इनमें उचित संशोधन किए जाएंगे।

स्पेक्ट्रम साझा करने की सुविधा के लिए संबंधित सेवा लाइसेंस और वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल)। (18) . एक गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, डब्ल्यू. पी. सी. विंग को सूचित करने के समय प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए प्रत्येक लाइसेंसधारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से देय होगा। वर्तमान में, प्रसंस्करण

Rs.50,000/- का शुल्क देना होगा। भुगतान यूनियन ऑफ इंडिया v द्वारा किया जाना है।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय) के पक्ष में मसौदा, डीओटी पर देय

नई दिल्ली।

(19) . अनुज्ञप्तिदाता/सरकार के पास इसे संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

समय-समय पर दिशानिर्देश जो उपयुक्त हों।

एसडी /

(पी

एस एम त्रिपाठी)

सहायक वायरलेस

सलाहकार

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

25. डी. ओ. टी. के अनुसार और इसलिए अनुपालन में हलफनामे में कहा गया है

केवल, और साझाकरण प्रचालक का दायित्व उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शेष स्पेक्ट्रम की सीमा तक होगा। इसलिए, साझा करने वाले ऑपरेटर-लाइसेंसधारी के पिछले बकाया (साझा किए जाने के बाद) के भुगतान के संबंध में उक्त ऑपरेटर का कोई दायित्व नहीं होगा। डी. ओ. टी. के अनुसार भी, दोनों टी. एस. पी. एस. (भागीदारों) को अपने-अपने ए. जी. आर. पर एस. यू. सी. का भुगतान करना आवश्यक है। आरकॉम/आर. टी. एल. के बीच साझाकरण में प्रवेश करने वाले रिलायंस जियो (साझा ऑपरेटर) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बार में कहा है कि रिलायंस जियो ने ए. जी. आर. पोस्ट साझाकरण का भुगतान किया है, जिसमें इस अदालत के निर्णय के अनुसार ए. जी. आर. का अंतर भी शामिल है। बार में कहा गया है कि अभी भी कुछ भी देय और देय माना जाता है और साझा करने के बाद की अवधि के लिए एजीआर। मूल रूप से आरकॉम को आवंटित किए गए उक्त स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन किए जाने पर, वे उक्त भुगतान करेंगे। अन्य टी. एस. पी. एस. के लिए भी इसी तरह की सलाह का आधार है। साझा करने की व्यवस्था के बारे में।

26. कि वर्तमान मामले में, स्पेक्ट्रम का केवल एक हिस्सा

लाइसेंसधारक को कुछ टी. एस. पी. के मामले के साथ साझा किया गया है। , जिसे डीओटी द्वारा साझाकरण दिशानिर्देश, 2015 के तहत अनुमोदित किया गया है, और साझा ऑपरेटर पर पिछले बकाया के दायित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अन्यथा भी, शेयरिंग ऑपरेटर/लाइसेंसधारी के पिछले बकाया में ए. जी. आर. [2020] 11 एस. सी. आर. शामिल है।

लाइसेंस धारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम के लिए, कुछ टी. एस. पी.। जैसे कि रिलायंस बाद में अस्तित्व में आई, और जैसा कि ऊपर देखा गया है, एजीआर के ऐसे ऑपरेटर का दायित्व केवल उस हद तक होगा जब उसने इसका उपयोग किया है स्पेक्ट्रम ने कहा। साझा प्रचालक टीएसपी। जिन लाइसेंसधारियों ने मूल लाइसेंसधारियों के साथ स्पेक्ट्रम साझा किया है, उनके एजीआर के पिछले बकाया का भुगतान करने का दायित्व नहीं लिया जा सकता है।

रे में। लेन-देनः

27. उन दूरसंचार कंपनियों के दायित्व के सवाल पर आते हैं जो व्यापार दिशानिर्देशों के तहत स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रही हैं

दूरसंचार कंपनी के एजीआर बकाया, स्पेक्ट्रम व्यापार द्वारा नियंत्रित किया जाता है स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देश दिनांक 12.10.2015 और उक्त व्यापार दिशानिर्देशों के तहत, दिवालिया होने का सामना कर रही दूरसंचार कंपनी के स्पेक्ट्रम का हिस्सा-दूसरी दूरसंचार कंपनी मूल लाइसेंसधारी का उपयोग कर रही है। खरीदार और खरीदार का दायित्व दिनांक 12.10.2015 के स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों के पैरा 11 के अनुसार होगा, जो नीचे दिया गया हैः

" (10) . दोनों लाइसेंसधारक यह वचन भी देंगे कि वे स्पेक्ट्रम व्यापार के दिशा-निर्देशों और लाइसेंस की शर्तों के सभी नियमों और शर्तों का पालन कर रहे हैं और इस बात पर सहमत होंगे कि यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर यह स्थापित हो जाता है कि स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार के व्यापार के लिए सूचना देते समय स्पेक्ट्रम व्यापार या/और लाइसेंस के दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों के अनुरूप नहीं था, तो सरकार को उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार व्यवस्था को रद्द करना भी शामिल हो सकता है।

(11) . विक्रेता स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए कोई भी समझौता करने से पहले अपने सभी बकाया का भुगतान करेगा। इसके बाद, व्यापार की प्रभावी तिथि तक वसूली योग्य कोई भी बकाया खरीदार का दायित्व होगा। सरकार, अपने विवेकाधिकार पर, खरीददार या विक्रेता से व्यापार की प्रभावी तिथि के बाद वसूली योग्य पाई गई राशि, यदि कोई हो, जो व्यापार की प्रभावी तिथि के समय पक्षों को ज्ञात नहीं थी, संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से वसूल करने की हकदार होगी।

विक्रेता के लाइसेंसों से संबंधित मांग, यदि कोई हो, जिस पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है, ऐसे विक्रेता के निर्णय के परिणाम के अधीन होगी।

मुकदमेबाजी।

(12) . जहां हस्तांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित स्पेक्ट्रम से संबंधित कोई मुद्दा किसी भी न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकार और देनदारियां भारत संघ को हस्तांतरित की जाएं।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदार और स्पेक्ट्रम के इस तरह के किसी भी हस्तांतरण की अनुमति ब्याज के बाद ही दी जाएगी।

लाइसेंसधारक को सुरक्षित कर लिया गया है "।

स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों के पैरा 11 को ओ. एम. दिनांक 12.05.2016 के माध्यम से और स्पष्ट किया गया था। कुछ दूरसंचार ऑपरेटरों ने विशिष्ट मुद्दा उठाया दिनांकित 12.10.2015 व्यापार दिशानिर्देशों पर प्रश्न। पैरा 11 के संबंध में प्रश्न सं. 2 में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या

स्पेक्ट्रम एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए है और बकाया का संदर्भ केवल संबंधित क्षेत्र में कारोबार किए जा रहे स्पेक्ट्रम से संबंधित है, और स्पष्टीकरण मांगता है

क्या खरीदार केवल उन देय राशियों के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग उत्तरदायी होगा यदि व्यापार की प्रभावी तिथि के बाद वसूली योग्य पाया जाता है, जो प्रभावी व्यापार तिथि के समय विक्रेता को ज्ञात नहीं थे।

28. उपरोक्त प्रश्नों के लिए, ओ. एम. दिनांक 12.05.2016 के माध्यम से, दिशानिर्देशों के पैरा 11 से संबंधित एक स्पष्टीकरण या उत्तर था,

जो नीचे लिखा है:

" अनुच्छेद 11 से संबंधित स्पष्टीकरण या उत्तर

दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
" दिशानिर्देशों के पैरा 11 के अनुसार, विक्रेता को अपने सभी बकाये का भुगतान करना होगा।

एल. एस. ए. से संबंधित जहां उस बैंड के लिए ओ. टी. एस. सी. बकाया सहित व्यापार का इरादा है। ऐसे मामले में जहां पूरे स्पेक्ट्रम की होल्डिंग सभी एल. एस. ए. में टी. एस. पी. का व्यापार करने का इरादा है, विक्रेता को पिछले बकाया सहित अपने सभी लंबित बकाया का भुगतान करना होगा। डी. ओ. टी. देय राशि की स्थिति का संकेत देगा। हालांकि, खरीदार उचित परिश्रम कर सकता है। इसके अलावा, सरकार, अपने विवेकाधिकार के अनुसार, खरीददार या विक्रेता से व्यापार की प्रभावी तिथि के बाद वसूली योग्य पाई जाने वाली राशि, यदि कोई हो, की वसूली करने की हकदार होगी, जो व्यापार की प्रभावी तिथि के समय पक्षों को ज्ञात नहीं थी।

संयुक्त रूप से या अलग-अलग "।

इस प्रकार, दिनांकित स्पेक्ट्रम व्यापार दिशानिर्देशों के पैरा 11 के अनुसार

12.10.2015 , ओ. एम. दिनांक 12.05.2016 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें, यदि स्पेक्ट्रम का कोई हिस्सा बिक्री के अधीन है, तो विक्रेता के पिछले बकाया के संबंध में खरीदार/खरीदार का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे मामले में जहां पूरा स्पेक्ट्रम बिक्री के अधीन है, उस मामले में, विक्रेता का पिछला बकाया खरीदार का दायित्व होगा, सिवाय उस राशि/बकाया के जो व्यापार की प्रभावी तारीख के

बाद वसूल करने योग्य पाई गई हो, जो व्यापार की प्रभावी तारीख के समय पक्षों को ज्ञात नहीं थी और ऐसी स्थिति में खरीदार और विक्रेता के ऐसे बकाया का दायित्व [2020] 11 एस. सी. आर. होगा।

संयुक्त रूप से या अलग-अलग और सरकार अपने विवेकाधिकार पर

ऐसी राशि की वसूली करें। वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि कुछ मामलों में केवल आंशिक स्पेक्ट्रम का व्यापार किया गया था, और शेष स्पेक्ट्रम

विक्रेता के साथ जारी रखा। स्पेक्ट्रम व्यापार के लिए समझौते के समय,

ओ. एम. दिनांक 12.05.2016 के साथ, समझौते/स्पेक्ट्रम व्यापार के समापन से पहले विक्रेता का बकाया खरीदार पर नहीं होगा। 29. यह स्पष्ट है कि एजीआर बकाया के संबंध में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामले में, प्रतिवादी पक्षकार थे, और वे थे

दूसरे दौर में ए. जी. आर. की परिभाषा के संबंध में मुकदमा करना

इस न्यायालय के समक्ष 215 में दायर अपील। उनमें से प्रत्येक इस बात से अवगत था कि एजीआर की परिभाषा के बारे में विवाद इस न्यायालय में लंबित था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पक्षों को यह पता था कि एजीआर बकाया को अंतिम रूप दिया जाना है एक लंबित मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार, और यह पिछले 20 वर्षों से लंबित था। व्यापार दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट दायित्व से इस हद तक नहीं बचा जा सकता है कि विक्रेता या खरीदार उत्तरदायी हो। उन्हें इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार एजीआर का भुगतान करना होगा। द.

जो खरीदार विक्रेता या खरीदार नहीं हैं, उन्हें दिशानिर्देशों के तहत देय राशि का भुगतान करना होगा, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। यह कहा गया था कि उन्होंने स्व-मूल्यांकन के अनुसार बकाया का भुगतान किया है या कुछ मामलों में मांगें नहीं उठाई गई हैं। हम डी. ओ. टी. को व्यापार के ऐसे मामलों में मूल्यांकन पूरा करने और यदि इसे नहीं उठाया गया है तो मांग बढ़ाने और स्व-मूल्यांकन की शुद्धता की जांच करने और यदि आवश्यक हो, तो उचित सत्यापन के बाद मांग बढ़ाने का निर्देश देते हैं। यदि मांग नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो डीओटी को आज से छह सप्ताह के भीतर मांग उठाने दें।

ए. जी. आर. के बकाया का भुगतानः 30. भारत संघ ने इसके माध्यम से एक आवेदन दायर किया है

दूरसंचार विभाग (डी. ओ. टी.) सी. ए. Nos.6328-6399/2015 में पारित दिनांकित 24.10.2019 आदेश को संशोधित करेगा और एक अलग

खींचा गया। 23.1.2020 दिनांकित संचार को देखते हुए, इसे 14.2.2020 पर वापस ले लिया गया था। 31. आवेदन में यह कहा गया है कि टी. एस. पी. का क्षेत्र। इसकी अपनी विविध विशेषताएं हैं। टीएसपी। जिन्हें भुगतान करने की आवश्यकता होती है, वे हैं भारत का आई. ओ. एन. बनाम.

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

पूरे भारत में करोड़ों उपभोक्ताओं की सेवाओं के लिए, और' सरकार ने इस मुद्दे की बहुत विस्तार से जांच की है। इसने इस क्षेत्र की बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी सक्रियता दिखाई है। 'ए. जी. आर.' की परिभाषा लगभग 20 वर्षों के बाद तय हो गई है, इसलिए भारी बकाया है। वास्तव में, यह पाया गया है कि कोई भी प्रमुख सेवा प्रदाता प्रभावित होता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे सेवा प्रदाताओं को संहिता की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभाव होंगेः

(a) ग्राहकों के एक बड़े अनुपात के लिए दूरसंचार सेवाओं पर प्रभाव।

(i) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रक्रिया की क्षमता है।

सीमाएँ; इससे गैर-परिचालन से परिचालन टी. एस. पी. तक पोर्टिंग संख्या में देरी हो सकती है, और इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए सेवाओं में व्यवधान हो सकता है।

((ii) टी. एस. पी. सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम नहीं होने वाले टी. एस. पी. से ग्राहकों को पोर्ट करने के लिए भी अतिरिक्त पहुँच (और बैकहॉल) की आवश्यकता होगी। सेवा की गुणवत्ता (क्यू. ओ. एस.), पहुंच बनाए रखने के लिए स्पेक्ट्रम

स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण नीलामी के माध्यम से किया जाता है।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव और उपभोक्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणाम;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव। एक या अधिक टी. एस. पी. को बंद करना और अन्य शेष टी. एस. पी. द्वारा भरी जा रही कमी निर्बाध नहीं होगी।

(घ) बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभावः

दूरसंचार क्षेत्र में संकट और व्यवसाय की सुगमता के विषय पर भारतीय बैंक संघ से 15.2.2020 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में दूरसंचार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों और इसके परिणामस्वरूप बैंकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया

दूरसंचार क्षेत्र को विचार के लिए सुझावों के साथ ऋण देना।

(ई) लाइसेंस शुल्क (एल. एफ.), स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एस. यू. सी.) और वस्तुओं और सेवाओं के कारण कर और गैर-कर राजस्व में व्यवधान।

कर (जी. एस. टी.) और स्पेक्ट्रम के कारण राजस्व का नुकसान स्थगित

किश्तें;

(च) कॉर्पोरेट दिवालियापन में मूल्यवान स्पेक्ट्रम को बंद करना।

समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)

(छ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का बड़ा नुकसान; [2020] 11 एस. सी. आर.

(ज) अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालना; (i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई.) की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(के) इसका विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आकांक्षी जिले और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटलीकरण का प्रसार

भारत के क्षेत्र।

ग्राहक। एक नए प्रवेशक द्वारा शुरू किए गए मूल्य युद्ध के कारण दूरसंचार सेवाएं कम रहीं। राजस्व में गिरावट आई है। डेटा शुल्कों में भारी कटौती के कारण पिछले एक साल से डेटा उपयोग में वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से 4 जी नेटवर्क पर। यह दुष्चक्र सेवा प्रदाताओं के पूंजीगत व्यय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और बदले में, राजस्व अर्जित करने की क्षमताओं को प्रभावित करेगा। 5 जी वित्तपोषण के लिए बैंकों के दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया, जिसके लिए वर्तमान लीवरेज वित्तीय स्थिति के साथ 5 जी से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। भारतीय बैंकों से दूरसंचार उद्योग के लिए कुल बकाया एक्सपोजर बहुत बड़ा है। संबंधित बैंक गारंटी तंत्र में संशोधन

भारी खंडों को भी इंगित किया गया था। दूरसंचार क्षेत्र की विभिन्न अन्य कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला गया। 33. भारत संघ ने राष्ट्र पर व्यापक हित, आर्थिक परिणामों की परिकल्पना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए, एक सचेत निर्णय लिया है और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से पिछले बकाया की वसूली के लिए एक सूत्र के लिए इस न्यायालय की मंजूरी मांगी है। यह सूत्र इस न्यायालय के अनुमोदन के लिए रखा गया है, जो मंत्रिमंडल सहित प्रशासनिक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर विस्तृत और लंबे विचार-विमर्श के बाद और वित्तीय स्वास्थ्य और दूरसंचार क्षेत्र की व्यवहार्यता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं के हित में प्रतिस्पर्धा और समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पुनर्प्राप्ति के तरीके के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:

भारत संघ v. भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

' ध्यान में रखने के लिए वसूली का तरीका

यह सम्माननीय न्यायालय

" 1.1 माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से प्रभावित सभी लाइसेंसधारियों को 20 वर्षों में वार्षिक किश्तों में पिछले डीओटी मूल्यांकन/गणना किए गए बकाया की अवैतनिक या शेष राशि का भुगतान करने की अनुमति दी जानी चाहिए (या यदि वे ऐसा चाहते हैं तो उससे कम), 8 प्रतिशत की छूट दर का उपयोग करके उक्त बकाया के शुद्ध वर्तमान मूल्य की विधिवत रक्षा करते हुए (जो वर्तमान में एस. बी. आई. की ऋण दर की एक वर्ष की सीमांत लागत पर आधारित है)।

7.75 %) . माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की तारीख (उच्चतम न्यायालय के उक्त फैसले के कारण उत्पन्न होने वाले) पर पिछले बकाया के संबंध में अवैतनिक राशि, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज पर ब्याज उक्त फैसले की तारीख के बाद नहीं लगाया जाएगा और छूट दर का उपयोग करके एन. पी. वी. को संरक्षित किया जाएगा। हालांकि, टी. एस. पी. एस. एल. एफ. और एस. यू. सी. के बकाया भुगतान के लिए ब्याज, जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज के लिए उत्तरदायी रहेगा जो माननीय के निर्णय की तारीख के बाद संभावित रूप से उत्पन्न होता है।

सर्वोच्च न्यायालय (24.10.2019)।

1.2 टी. एस. पी. एस. के स्व-मूल्यांकन और डी. ओ. टी. के मूल्यांकन/गणना के बीच सुलह के बाद निर्धारित ए. जी. आर. निर्णय (24.10.2019) से उत्पन्न पिछले बकाया की राशि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को टी. एस. पी. की देय किश्त राशि में जोड़ा/समायोजित किया जाए।

वही आधार जो ऊपर अनुच्छेद 1.1 में दिया गया है।

34. 20 वर्षों से अधिक की वार्षिक किश्तों के माध्यम से शेष बकाया का भुगतान करने की भी प्रार्थना की गई है। किसी भी चूक के लिए, एक प्रावधान

इस न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख तक पारित आदेश के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य और उसके बाद बकाया की रक्षा के लिए 8 प्रतिशत की रियायती दर का उपयोग करके प्राप्त किया जाना है, जो कि एस. बी. आई. की एक सीमांत एम. सी. एल. आर. दर पर आधारित है जो वर्तमान में 7.75% है। समझौते के अनुसार बकाया राशि पर ब्याज, जुर्माना और ब्याज निर्णय की तारीख के बाद नहीं लगाया जाएगा और एन. पी. वी. को संरक्षित किया जाएगा। हालांकि, संभावित बकाया के लिए, यदि कोई हो, तो टीएसपीएस। तारीख के बाद समझौते के अनुसार बकाया भुगतान के लिए ब्याज, जुर्माना और जुर्माना पर ब्याज देय होगा।

इस न्यायालय का निर्णय।

35. विभिन्न कारकों और भारतीय बैंक संघ द्वारा लिखे गए पत्रों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है

कि मंत्रिमंडल का निर्णय विभिन्न कारकों पर आधारित है और अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित में है। निर्णय लिया गया है [2020] 11 एस. सी. आर.

व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श के बाद, और निर्णय की तारीख तक, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार बकाया राशि का निर्धारण किया गया है। केवल बाद की अवधि के लिए, ब्याज की दर, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के रूप में कुछ छूट दी गई है, जो अनुमेय है। पिछले 20 वर्षों से बकाया राशि जमा हो रही है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ कंपनियां दिवालिया कार्यवाही के तहत हैं, जिनकी वैधता की जांच की जानी है, और उनके खिलाफ एजीआर बकाया का भारी बकाया था। दूरसंचार क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, ऊपर उल्लिखित विभिन्न विचारों पर निर्णय लिया गया है, जिन पर आपत्ति नहीं की जा सकती है।

36. हालांकि, हम मानते हैं कि भुगतान के लिए निर्धारित 20 साल की अवधि अत्यधिक है। हम महसूस करते हैं कि यह एक राजस्व साझाकरण व्यवस्था है और यह टी. एस. पी. को संप्रभु अधिकार प्रदान करना है। दूरसंचार नीति के तहत। हम.

महसूस करें कि वित्तीय तनाव और बैंकिंग क्षेत्र की भागीदारी को देखते हुए कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए। हम समान वार्षिक किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए समय की सुविधा देना उचित समझते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा ऊपर उद्धृत शेष निर्णय बकाया भुगतान करने के लिए समय सारिणी से संबंधित संशोधनों को छोड़कर रहेगा। लेकिन, साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया राशि का भुगतान पूरी तरह से किया जाए। रियायत केवल इस शर्त पर दी जाती है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर बकाया का भुगतान समय पर किया जाएगा। यहां तक कि एक भी चूक समझौते में निर्दिष्ट दर पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के साथ बकाया को आकर्षित करेगी। 37. हम यह भी दर्ज करते हैं कि गैर-दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों के मुकाबले एजीआर की मांग उठाई गई थी। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के बल पर। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मामले की फिर से जांच की गई है और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। आई. डी. 1 दिनांकित हलफनामे में कहा गया है कि गैर-दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गैर-दूरसंचार निकाय हैं जो बिजली पारेषण, तेल और गैस की खोज, और शोधन, मेट्रोरेल जैसी सेवाएं प्रदान करने में शामिल हैं।

सेवा आदि, और यह कि वे आम जनता को मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में नहीं हैं। उनके पास अभिगम सेवा लाइसेंस (ए. एस. एल.) नहीं है। 'दूरसंचार सेवा' शीर्षक के तहत गैर-दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त राजस्व बहुत ही नगण्य और एक छोटा हिस्सा है और यह कुल राजस्व का हिस्सा नहीं है, जैसे गेल के लिए 0.0002%, डीएमआरसी के लिए 0.0002 8% और ऑयल इंडिया के लिए 0.001%, आदि। डी. ओ. टी. ने गैर-दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्र भारत संघ बनाम से गैर-दूरसंचार राजस्व के आधार पर लाइसेंस शुल्क के लिए उठाई गई मांगों को वापस लेने का फैसला किया है।

भारत ई. टी. सी. के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का संगठन। ईटीसी।

उपक्रम, जो एम/एस हैं। पावरग्रिड, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, डी. एम. आर. सी., जो गैर-दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों की मांग का लगभग 96 प्रतिशत है। इस संबंध में 13.7.2020 और 14.7.2020 पर आदेश जारी किए गए हैं।

38. परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर एजीआर बकाया के संबंध में दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के लिए, किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया जाएगा और कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(ii) कि, पहली बार में, संबंधित दूरसंचार ऑपरेटर कुल बकाया का 10 प्रतिशत का भुगतान करेंगे जैसा कि मांग की गई है।

31.3.2021 द्वारा डीओटी।

(iv) प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष या अन्य अधिकृत अधिकारी के माध्यम से विभिन्न कंपनियों को आदेश के अनुसार बकाया का भुगतान करने के लिए चार सप्ताह के भीतर एक वचन पत्र प्रस्तुत करना। (v) स्पेक्ट्रम के संबंध में प्रस्तुत की गई मौजूदा बैंक गारंटी को टी. एस. पी. द्वारा जीवित रखा जाएगा। जब तक

भुगतान किया जाता है।

जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज के साथ-साथ अदालत के संदर्भ के बिना स्वचालित रूप से। इसके अलावा, यह अवमानना के लिए दंडनीय होगा। अदालत से।

(vii) सभी टी. एस. पी. एस. द्वारा आदेश के अनुपालन की सूचना दी जाए। और डीओटी

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की 7 अप्रैल तक।

सुओ मोटू अवमानना याचिका में, दायर किए गए जवाब और रिपोर्ट किए गए अनुपालन को देखते हुए, और एक बिना शर्त माफी मांगी गई, जिसे हम

हम श्री मंदार देशपांडे को जारी किए गए नोटिस को स्वीकार करते हैं और कार्यवाही को छोड़ देते हैं।

कार्यवाही से विदा लेने से पहले, हम श्री तुषार द्वारा प्रदान की गई निष्पक्ष और सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं

मेहता, सॉलिसिटर जनरल और संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने वाले संबंधित वरिष्ठ वकील।

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

तदनुसार, लंबित अंतर्वर्ती

आवेदनों का निपटारा किया जाता है

ए.

उपरोक्त आदेश/निर्देशों के संदर्भ में।

पिछले सभी आदेशों को

तदनुसार संशोधित किया गया है।

दिव्या पांडे